

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)



^{धरथ} अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरमाष/फैक्स : 05946—220003 ई.मेल : cfwkum-forest-uk@nic.in.

पत्रांक- ६९७ / 12-1

हल्द्वानी, दिनांक, नवम्बर,

2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:--

जनपद— नैनीताल में तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली कोसी नदी के वन स्वीकृति (F.C.) पुर्नप्रस्ताव FP/UK/MIN/147885/2021 में भारत सरकार द्वारा लगाई गई EDS आपित के संबंध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र संख्या 8-61/1999-F.C. (Pt. VI) दिनांक 15 सितम्बर 2022 |

महोदय,

जपरोक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा आपित लगाई गयी, जिसके कम में प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर द्वारा आपित का निराकरण कर अपनी पत्र संख्या 2000 ∕ 12−1 दिनांक 31.10.2022 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से आख्या इस कार्यालय में प्रेषित की गई, जो कि निम्न प्रकार है:--

आपत्ति	प्रतिउत्तर
I. The forest clearance has been sought for next 10 years whereas the approved mining plan is valid for next 3 years only. The State shall therefore provided/upload the approved mining plan for 10 years.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 10 वर्षीय वन स्वीकृति की वैधता दि0 14.02.2023 तक होने के कारण Mining Plan की वैधता माह फरवरी 2023 (वन स्वीकृति की समाप्ति) तक प्राप्त हुई है। उत्तराखण्ड सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन योजना मात्र 05 वर्ष हेतु ही बनायी जानी निर्देशित है। जिस क्रम में आगामी वर्षो (वर्ष 2023 से वर्ष 2028 तक) हेतु Mining Plan की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार कर भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। साथ ही अवगत कराया गया है कि स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।
II. The details/documents submitted in respect of the observation no. (viii) Of MOEF&CC'S EDS letter dated 10.05.2022 is not legible. A legible copy may be provided/uploaded in the online portal.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि Observation no. (viii) Of MOEF&CC'S EDS letter dated 10.05.2022 की स्पष्ट छायाप्रति प्रेषित की गयी है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
III. DSR has been prepared as per SSMG-2016 Guideline. However, it's required as per the MOEF&CC'S SSMG Guideline-2019.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि खनन विभाग द्वारा जारी खनन योजना जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (जिला—नैनीताल) दिनांक 25.07.2018 तक की प्रेषित की गई है। प्रभागीय कार्यालय की पत्र सं0—1319/खनन 2022—23/ दिनांक 20.09.2022 द्वारा खनन विभाग से MOEF&CC'S SSMG Guideline-2019 के आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हेतु आवेदन किया गया, जिसके कम में खनन विभाग द्वारा अपनी पत्र सं0—870/भू०खनि०ई०/खनन ई—रवन्ना/ 2022—23 दिनांक 30.10.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद नैनीताल कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) वर्ष 2018 के उपरान्त तैयार नहीं की गई है। पत्र की छायाप्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

- IV. The cost benefit analysis is not as per the guidelines issued by the Ministry. The same may be provided as per guidelines and on the prescribed format.
- The State govt has informed that as per the consent/approval of CWLW the Mining activities are being carried out over 91 ha area, whereas, as per the component wise breakup given in the letter dated 02.08.2022, a forest area of 127 ha has been shown suitable for mining. The same needs clarification.

VI. As per the boundaries of the Corbett Tiger Reserve available with the DSS cell (procured form NTCA) the distance of proposed site is 2.80 km from the Corbett Tiger Reserve, Therefore, either there is discrepancy in the boundaries of above PAs or the KML file of the proposed area being used is not correct. The State Govt shall therefore recheck the boundaries/kml file and accordingly take appropriate action keeping in view the distance of proposed site from the Corbett National Park/ Tiger

Reserve and Eco-sensitive Zone of the PA.

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि लागत लाभ विश्लेषण सरकार द्वारा प्रदत्त गाईड लाईन के अनुसार पूनः तैयार कर प्रेषित की गयी है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त बिन्दू के संबंध में अवगत कराना है कि पूर्व में प्रेषित खनन क्षेत्र के component wise breakup में खनन योजना के अनुसार लगभग 127 है0 क्षेत्र को खनन हेतू उपयुक्त बताया गया है जो कि खनन योजना के प्लेट सं0-06 व 07 में अंकित है। परंत् अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0-877 / 1जी0 2757 (नैनी0) / दिनांक देहरादून 09 अक्टूबर 2012 जो कि भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय पर्यावरण भवन सी०जी०ओ० काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली को सम्बोधित है। उक्त पत्र पूर्व में भी संलग्न किया गया था के बिन्दु सं0—15 में "मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड की संस्तुति के अनुसार रामनगर के ग्राम मदनपुरी कुर्मी तक उपखनिज क्षेत्रफल प्रतिबन्धित करने पर अनुमानित क्षेत्रफल 181.00 है0 में नदी के दोनों ओर 25 प्रतिशत भाग छोड़ने पर लगभग 91.00 है0 में शुद्ध वन क्षेत्र में उपखनिज की कार्यवाही की जा रही है

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन आधुनिकीकरण उत्तराखण्ड देहरादून की फाईल नं०-3201 —2डी /1/2020 /Forest department के आधार पर कोसी नदी के खनन क्षेत्र की कॉर्बेट टाईगर रिजर्व की निकटतम सीमा (हवाई दूरी) 6.0 किमी0, पवंलगढ़ संरक्षित क्षेत्र की निकटतम सीमा (हवाई दूरी) 2.6 किमी0 तथा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की निकटतम सीमा (हवाई दूरी) 10.5 किमी0 दर्शित है(संलग्नक-06)। उक्त के क्रम में यह अवगत कराना भी समीचीन होगा कि Ministry of Environment and Forest Wild Life Division की फाईल नं0-F.No-6-10/2011 /WL Dated 19-Dec-2012 के साथ संलग्न गाईड लाईन के बिन्दु सं0-3.5.1 के अन्तर्गत भी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 10.00 किमी0 परिधि के अन्तर्गत तथा बिन्दु सं0-3.33 में टाईगर रिजर्व की सीमा व बिन्दु सं0-3.4 में कन्जरवेशन रिजर्व की सीमा के अन्तर्गत आने पर ही NBWL की कार्यवाही किये जाने हेतू निर्देशित है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान Ecosensitive Zone अभी तक प्रख्यापित नहीं हो पाया है। उक्त के संबंध में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त विषय पर अपनी फाईल सं0 FC-11/119/2020-FC Dated 17-May-2022 से भी दिशानिर्देश जारी किये गये है।

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में वैध कोसी नदी (181 है0) एवं दाबका नदी (112 है0) में उपखनिज चुगान हेतु वन भूमि लीज के प्रस्तावों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्र अन्य वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के भांति पूर्व निर्धारित नहीं था, साथ ही CAMPA ADHOC मद से भी क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि प्रकरणवार प्राप्त न होकर एकमुश्त प्राप्त होती है। चुंकि क्षतिपुरक वृक्षारोपण क्षेत्र पूर्व निर्धारित न होने के कारण कोसी नेदी एवं दाबका नदीं में उपखनिज चुगान हेतु प्रस्तावों के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण 🤝 वन प्रभाग के अन्तर्गत उपलब्ध अवनत वन क्षेत्र में किया गया। उपरोक्त कारणों से दोनों प्रस्तावों के क्षतिपूकरण वृक्षारोपण क्षेत्र की KML File संयुक्त रूप से ही उपलब्ध

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि बिन्दु सं0 8 में वर्णित समस्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की KML File को संशोधित कर मय सी.डी. प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या मय संलग्नकों के सादर सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेत्

प्रेषित । संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य) वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त्त् () उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

696 उक्तदिनांकित। पत्रांक

Aampokhra plot 15 B (10.0 ha)] CA sites are found overlapping or have common area with each other. Such ambiguities are required to be addressed before submitting the kml files of CA areas pertaining to the instant proposal.

प्रतिलिपि—प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर को उनके पत्रांक—2000/12—1 दिनांक 31.10.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> (दीप चन्द्र आयी) वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, ज्ताराखण्ड, हल्द्वानी।

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल) पत्रांक २००० / | २-। विनाक, रामनगर, ३ | 16 | 2022

सेवा में

वन संरक्षक पश्चिमी वृत्तः उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल

विषय:

जनपद- नैनीताल में तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली कोसी नदी के वन स्वीकृति (F.C.) पुर्नप्रस्ताव FP/UK/MIN/147885/2021 में भारत सरकार द्वारा लगाई गई EDS आपत्ति के संबंध में।

संदर्भः

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की File No-8-61/1999-F.C. (Pt. VI) दिनांक 15 सितम्बर 2022।

महोदय.

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार ने विषयगत प्रस्ताव पर ८ बिन्दुआ की आपत्ति लगाई गयी थी, उक्त आपत्तियों के संबंध में याचक विभाग को लिखा गया, याचक विभाग द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रत्युत्तर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। याचक विभाग द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार प्रत्युत्तर आख्या निम्न

2.30			
	आपत्ति	प्रतिउत्तर	
1.	The forest clearance has been sought for next 10 years whereas the approved mining plan is valid for next 3 years only. The State shall therefore provided/upload the approved mining plan for 10 years.	10 वर्षीय वन स्वीकृति की वैधता दिं0-14 02 2023 तक होने के कारण Mining Plan की वैधता माह फरवरी 2023 (वन स्वीकृति की समाप्ति) तक प्राप्त हुई है। उत्तराखण्ड सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन योजना मात्र 05 वर्ष हेतु ही बनायी जानी निर्देशित है। जिस क्रम में आगामी वर्षो (वर्ष 2023 से वर्ष 2028 तक) हेतु Mining Plan की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार कर भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है तथा स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।(छायाप्रति संलग्न-01)	
11.	The details/documents submitted in respect of the observation no. (viii) Of MOEF&CC'S EDS letter dated 10.05.2022 is not legible. A legible copy may be provided/uploaded in the online portal.	Observation no. (viii) Of MOEF&CC'S EDS letter dated 10.05.2022 की स्पष्ट छायाप्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–02)	
III.	DSR has been prepared as per SSMG-2016 Guideline. However, it's required as per the MOEF&CC'S SSMG Guideline-2019.	खनन विभाग द्वारा जारी खनन योजना जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (जिला—नैनीताल) दिनाक 25.07.2018 तक की प्रेषित की गई है। इस कार्यालय की पत्र सं0- 1319/खनन 2022-23/ दिनांक 20.09.2022 द्वारा खनन विभाग से MOEF&CC'S SSMG Guideline-2019 के आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हेंतु आवेदन किया गया जिसके कम में खनन विभाग द्वारा अपनी पत्र सं0-870/भू0खनि0ई0/खनन ई-रवन्ना/ 2022-23 दिनांक 30.10.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद नैनीताल कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) वर्ष 2018 के उपरान्त तैयार नहीं की गई है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-03)	
IV.	The cost benefit analysis is not as per the guidelines issued by the Ministry. The same may be provided as per guidelines and on the prescribed format.	लागत लाभ विश्लेषण सरकार द्वारा प्रदत्त गाईड लाईन के अनुसार पुनः तैयार कर संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक–04)	
V.	The State govt has informed that as per the consent/approval of CWLW the Mining activities are being carried out over 91 ha area, whereas, as per the component wise breakup given in the letter dated 02.08.2022, a forest area of 127 ha has been shown suitable for mining. The same needs clarification.	उक्त बिन्दु के संबंध में अवगत कराना है कि पूर्व में प्रेषित खनन क्षेत्र के component wise breakup में खनन योजना के अनुसार लगभग 127 है0 क्षेत्र को खनन हेतु उपयुक्त बताया गया है जो कि खनन योजना के प्लेट सं0-06 व 07 में अंकित है। परंतु अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड्ल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0 877/1जी0 2757(नैनी0)/दिनांक देहरादून 09 अक्टूबर 2012 जो कि भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय पर्यावरण भवन सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स	

लोधी रोड नई दिल्ली को सम्बोधित है। उक्त पत्र पूर्व में भी संलग्न किया गया था के बिन्दु सं0–15 में "भूख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड की संस्तुति के अनुसार रामनगर के ग्राम मदनपुरी कुर्मी तक उपखनिज क्षेत्रफल प्रतिबन्धित करने पर अनुगानित क्षेत्रफल 181.00 है0 में नदी के दोनों ओर 25 प्रतिशत भाग छोड़ने पर लगभग 91.00 है0 में शुद्ध वन क्षेत्र में उपखनिज की कार्यवाही की जा रही है। अतः संलग्न कर प्रेषित किया जा

रहा है। (संलग्नक-05)

VI. As per the boundaries of the Corbett Tiger Reserve available with the DSS cell (procured form NTCA) the distance of proposed site is 2.80 km from the Corbett Tiger Reserve. Therefore, either there is discrepancy in the boundaries of above PAs or the KML file of the proposed area being used is not correct. The State Govt shall therefore recheck the boundaries/kml file and accordingly take appropriate action keeping in view the distance of proposed site from the Corbett National Park/ Tiger Reserve and Eco-sensitive Zone of the PA.

ग्रंब्य वन रारक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन आई0टी0, आधुनिकीकरण ,उतराखण्ड देहरादून की फाईल नं०- 3201 -2डी /1/2020 /Forest department के आधार पर कोसी नदी के खनन क्षेत्री की कॉर्बेट टाईगर रिजर्व की निकटतम सीमा (हवाई दूरी) 60 किमी0. पवंलगढ़ संरक्षित क्षेत्र की निकटतम सीमा (हवाई दूरी) 2 6 किमी0 तथा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की निकटतम सीमा (हवाई दूरी) 10.5 किमी0 दर्शित है(संलग्नक–06)। उक्त के क्रम में यह अवगत कराना भी समीचीन होगा कि Ministry of Environment and Forest Wild Lifr Division की फाईल नं0-F.No-6-10/2011 /WL Dated 19-Dec-2012 के साथ संलग्न गाईड लाईन के बिन्द् सं0–3.5.1 के अन्तर्गत भी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 10.00 किमी0 परिधि के अन्तर्गत तथा बिन्द् सं0-3.33 में टाईगर रिजर्व की सीमा व बिन्द् सं0-3.4 में कन्जरवेशन रिजर्व की सीमा के अन्तर्गत आने पर ही NBWL की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान Eco-sensitive Zone अभी तक प्रख्यापित नहीं हो पाया है(संलग्नक-06)। उक्त के संबंध में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त विषय पर अपनी फाईल सं0 FC-11/119/2020-FC Dated 17-May-2022 से भी दिशानिर्देश जारी किये गये है। (संलग्नक-6.1)

VII. The State has submitted two proposals simultaneously, one is collection of minor mineral from Dabka River over an area of 112.0 ha and other is collection of minor minerals from Kosi River over an area of 181.0 ha. In this regard it has been observed that the attachment CD with the reply of both proposals has common KML files of CA areas. The kml files of the CA areas pertaining to the instant proposal are required to be submitted separately so that they can be analyzed on DSS portal.

उयत बिन्दु के संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान में वैध कोसी नदी(181 है0) एवं दाबका नदी (112 है0) में उपखनिज चुगान हेतु वन भूमि लीज के प्रस्तावों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्र अन्य वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के भांति पूर्व निर्धारित नहीं था, साथ ही CAMPA ADHOC मद से भी क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि प्रकरणवार प्राप्त न होकर एकमुश्त प्राप्त होती है। चुंकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र पूर्व निर्धारित न होने के कारण कोसी नदी एवं दाबका नदी में उपखनिज चुगान हेतु प्रस्तावों के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण इस वन प्रभाग के अन्तर्गत उपलब्ध अवनत वन क्षेत्र में किया गया। उपरोक्त कारणों से दोनों प्रस्तावों के क्षतिपूकर वृक्षारोपण क्षेत्र की KML File संयुक्त रूप से ही उपलब्ध है।

VIII. It has also been observed on DSS that one kml file of North Jaspur Range is found duplicate whereas [Upper Kosi (9.02 ha) and Upper Kosi (49.96 ha)], [Guljarpur plot 9 (802 ha) and Guljarpur plot no 9 B (10.06 ha)] and [Aampokhra plot 14 (16.05 ha) and Aampokhra plot 15 B (10.0 ha)] CA sites are found overlapping or have common area with each other. Such ambiguities are required to be addressed before submitting the kml files of CA areas pertaining to the instant proposal.

बिन्दु सं0 8 में वर्णित समस्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की KML File को संशोधित कर मय सी.डी. के संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक–07)

उक्त आपित्तियों के संबंध में याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संलग्नों को आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। संलग्न– उपरोक्तानुसार

> (कुन्दने कुमार) प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामन

भवदीय

तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक 2000 / दिनांकित

प्रतिलिपि:— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,वन् संरक्षण, इन्दिरानगर फॅारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— प्रभागीय प्रबन्धक खनन, रामनगर, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग— रामनगर को उनके पत्राक 1594 / कोसी नदी पुर्नप्रस्ताव दिनाक 21.10.2022 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

> (कुन्दन कुमार) प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर